झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001603)

अभियंत्रण भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, रॉची—834004

महत्वपूर्ण सूचना

अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमई) की सदस्यता हेतु आवेदन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झा०ऊ०वि०नि०लि० और इसकी सहायक कंपनियों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए **अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (Contributory Post Retirement Medicare Scheme: CPRME)** को लागू करने का निर्णय लिया गया है ताकि सेवाप्रदाता की नीति के अनुसार स्वास्थय बीमा शुरू किया जा सके।

2. झा०ऊ०वि०नि०लि० और इसकी सहायक कंपनियों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी इस योजना के सदस्य होंगे।

3.पॉलिसी में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।यह योजना झा०ऊ०वि०नि०लि० और इसकी सहायक कंपनियों के सभी पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए खुली है एवं इसे स्व–वित्तपोषण नीति के तहत लागू किया जा रहा है। प्रीमियम की राशि पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को ही वहन करना है, जो कि उनके मासिक पेंशन से किस्तों में कटौती की जायेगी।

4. पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों (जो यह योजना का विकल्प दिनांक 15.06.2022 तक अस्वीकार करते हैं, उन्हें छोड़कर) को संबंधित कंपनी के माध्यम से करना है।

5.इस योजना में जितने अधिक सदस्य होंगे, प्रीमियम की राशि समेकित रूप से उतना ही कम होगा।

6. किसी भी परिस्थिति में किसी सदस्य का कुल वार्षिक पात्रता (मूल बीमा राशि) निम्न राशि से अधिक नहीं होगी–पारिवारिक पेंशनर–5.00 लाख रूपये, पेंशनर–10.00 लाख रूपये [जीवनसाथी (spouse) सहित]

7. बीमाकर्त्ता को समय पर वार्षिक आधार पर निर्धारित प्रीमियम के भुगतान के अधीन आजीवन कवर करने का प्रस्ताव है। प्रीमियम की राशि निविदा के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

8. विस्तृत विवरणी के लिए अधिसूचना संख्या 135 दिनांक 02.02.2022 https://jbvnl.co.in पर अपलोड किया गया है।

9. **योजना अस्वीकारोक्ति** संबंधी आवेदन झा०ऊ०वि०नि०लि० और इसकी सहायक कंपनियों के संबंधित लेखा ईकाई पर व्यक्तिगत रूप से/अपने किसी परिचित के माध्यम से/डॉक/कूरियर/ पूर्ण प्रपत्र को स्कैन कर ई–मेल द्वारा दिनांक 15.06.2022 तक जमा किया जाना है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है–

अस्वीकारोक्ति वचनपत्र

सेवा में,

आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी,

वर्तमान पेंशन आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी के कार्यालय का पता

महाशय,

झा०ऊ०वि०नि०लि० के अधिसूचना संख्या 135 दिनांक 03.02.2022 के संदर्भ में दिनांक .... को प्रकाशित महत्वपूर्ण सूचना के आलोक में मैं .... (नाम) पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी (कृपया ✓ चिन्हित करें) पी०पी०ओ० संख्या .... जो ....(पेंशन आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी के कार्यालय का पता) से पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूँ, अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमई) की सदस्यता अस्वीकार करता/करती हूँ।

पेंशनधारी/ पारिवारिक पेंशनधारी
का हस्ताक्षर/ बायें हाँथ के अंगूठे का निशान
(जिनके द्वारा पेंशन आहरण किया जा रहा है)

नोट– यह वचनपत्र स्वयं/अपने किसी परिचित के माध्यम से/डॉक/कूरियर/ स्कैन कर ई–मेल द्वारा अपने आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (जहाँ से पेंशन आहरित किया जा रहा है) के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

उपरोक्त अस्वीकारोक्ति वचनपत्र निर्धारित तिथि दिनांक 15.06.2022 तक समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी को इस योजना का सदस्य माना जायेगा एवं तद्नुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

10. इस योजना के सदस्य बनने के अनिच्छुक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे उक्त अधिसूचना के आलोक में अपना योजना अस्वीकारोक्ति वचनपत्र संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (जहाँ से वे आहरण कर रहे हैं) के कार्यालय में 15.06.2022 तक व्यक्तिगत रूप से/अपने किसी परिचित के माध्यम से/डॉक/कूरियर/पूर्ण प्रपत्र को स्कैन कर ई–मेल द्वारा अवश्य जमा करा दें।

अजय कुमार

(अजय कुमार)
उप महाप्रबंधक (ट्रस्ट)